

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 205/2023

दायर दिनांक 12.09.2023

वादीगण

प्रतिवादीगण

1. बाबू खां पुत्र गुलाब खां
2. रोशन खां पुत्र गुलाब खां
3. इसुब खान पुत्र गुलाब खां
4. शायरा बेवा फरीद खां समस्त जाति मुसलमान निवासी सिपाहियों की ढाणी, खुनखुना तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन राज0।

1. अरबाज खां पुत्र उस्मान खां
2. अलिम खां पुत्र उस्मान खां
3. नियाज मोहम्मद पुत्र उस्मान खां
4. सलिम खान पुत्र उस्मान खां
5. सुगरा पत्नी आसु खां समस्त जाति मुसलमान निवासीगण सिपाहियों की ढाणी खुनखुना तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन राज0
6. आमिन खां पुत्र फरीद खां
7. रफिक खाने पुत्र फरीद खां
8. रूस्तम खान पुत्र फरीद खां
9. शबाना बानों पुत्री फरीद खां पत्नी इमरान खां
10. साजिद खान पुत्र फरीद खां समस्त जाति मुसलमान निवासीगण सिपाहियों की ढाणी, खुनखुना तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन राज0
11. तहसीलदार डीडवाना

बनाम्

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री वी.पी. सिंह वकील वादीगण।

--: अंतिम निर्णय :-

दिनांक 21.03.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है सरहद ग्राम खुनखुना स्टेशन के खसरा सं0 880 रकबा 0.0200 हैक्टे0 व खसरा सं0 881 रकबा 10.7100 हैक्टे0 की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 10 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 04.12.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 24 दिनांक 09.01.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 24 दिनांक 09.01.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

W/ks
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना



—:: आदेश ::—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद ग्राम खुनखुना स्टेशन के खसरा सं० 880 रकबा 0.0200 हैक्टे० व खसरा सं० 881 रकबा 10.7100 हैक्टे० की भूमि का काश्तकार खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 24 दिनांक 09.01.2025 में वर्णितानुसार भूमि का, वादीगण व खातेदारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 24 दिनांक 09.01.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Wkas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 21.03.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Wkas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 205/2023

दायर दिनांक 12.09.2023

वादीगण

1. बाबू खां पुत्र गुलाब खां
2. रोशन खां पुत्र गुलाब खां
3. इसुब खान पुत्र गुलाब खां
4. शायरा बेवा फरीद खां समस्त जाति मुसलमान निवासी सिपाहियों की ढाणी, खुनखुना तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अरबाज खां पुत्र उस्मान खां
2. अलिम खां पुत्र उस्मान खां
3. नियाज मोहम्मद पुत्र उस्मान खां
4. सलिम खान पुत्र उस्मान खां
5. सुगरा पत्नी आसु खां समस्त जाति मुसलमान निवासीगण सिपाहियों की ढाणी खुनखुना तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन राज0
6. आमिन खां पुत्र फरीद खां
7. रफिक खान पुत्र फरीद खां
8. रुस्तम खान पुत्र फरीद खां
9. शबाना बानों पुत्री फरीद खां पत्नी इमरान खां
10. साजिद खान पुत्र फरीद खां समस्त जाति मुसलमान निवासीगण सिपाहियों की ढाणी, खुनखुना तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन राज0
11. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकॉर्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 21.03.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री वी.पी. सिंह वकील वादीगण की ओर से से मददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद ग्राम खुनखुना स्टेशन के खसरा सं0 880 रकबा 0.0200 हैक्टे0 व खसरा सं0 881 रकबा 10.7100 हैक्टे0 की भूमि का काश्तकार खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 24 दिनांक 09.01.2025 में वर्णितानुसार भूमि का, वादीगण व खातेदारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 24 दिनांक 09.01.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	-		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय			मुतफर्रिक		
हुकमनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना